

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) consisting of :</b> 1. Director General Fire Service, Civil Defence and Home Guard – Chairperson 2. Fire Adviser/Deputy Director General (Home Guard) – Member; and 3. Director, National Fire Service Collège, Nagpur – Member	Not applicable.

[F. No. I-12014/01/2015-Ad (CD) Pt. File 2]

GOUTAM GHOSH, Director

### जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 430.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप-निदेशक (राजभाषा), भर्ती नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप-निदेशक (राजभाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप-निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2005 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 1 के उप-नियम (1) में शब्दों "केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड" के स्थान पर "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड" रखा जाएगा।
3. उक्त नियमों में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—  
"2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं"।
4. उक्त नियमों की अनुसूची में –  
(क) स्तम्भ (4) में, स्तम्भ शीर्ष और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700 रु.)"

(ख) स्तम्भ 12 में,-

- (i) शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 रु.)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;
- (ii) शब्दों, अंकों और अक्षरों "वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100 रु.)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा;
- (iii) टिप्पण का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 21/14/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21, तारीख 3 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि 216, तारीख 3 नवंबर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 27th November, 2017

G.S.R. 430.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board, Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2005 namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Deputy Director (Official Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board, Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Central Ground Water Board", the words "Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board" shall be substituted.

3. In the said rules, for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

4. In the Schedule to the said rules,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level 11 (Rs. 67,700) in the pay matrix.;"

(b) in column (12),-

- (i) for the words, letters and figures "the grade scale of pay of Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 in pay band 3", the words, figures, brackets and letters "level-10 (Rs.56100) in the pay matrix" shall be substituted;
- (ii) for the words, letters and figures "the scale of pay of Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400 in Pay band-3-", the words, figures, brackets and letters "level-10 (Rs. 56100) in the pay matrix" shall be substituted;
- (iii) the "Note" shall be omitted.

[F. No. 21/14/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

Note: The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 21, dated the 3<sup>rd</sup> January, 2005 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 216, dated the 3<sup>rd</sup> November, 2010.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

**सा.का.नि. 431.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल-मौसम विज्ञानी भर्ती नियम, 1997 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सहायक जल-मौसम विज्ञानी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक जल मौसम विज्ञानी, पद भर्ती नियम, 1997 - (जिसे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

**"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है"।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, -

(क) स्तम्भ 4 में, स्तम्भ शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तम्भ शीर्षक और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 रु.)"

(ख) स्तम्भ 12 में -

- (i) "प्रोन्नति" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएंगी, अर्थात्:-  
"ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जल-मौसम विज्ञानी) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो राष्ट्रीय भूमिगत जल अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से न्यूनतम चार सप्ताह का इंडकशन स्तर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो";
- (ii) "प्रतिनियुक्ति" शीर्षक के अधीन मद (क) में, उपमद (ii) और उपमद (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद रखा जाएगा, अर्थात्:-  
"(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 रु.) के पदों में छह वर्ष नियमित सेवा की है;"।

[फा. सं. ए-31012/05/2017-सीजीडब्ल्यूवी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47, तारीख 28 फरवरी, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448, तारीख 18 अगस्त, 2001 द्वारा संशोधन किया गया था।

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 216.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2010 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उप निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2005 में, अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक (राजभाषा)	01* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'क'), राजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, वेतनमान 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में व श्रृंखलाएं जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

सम्मिश्र पद्धति (प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति)

प्रतिनियुक्ति + प्रोन्नति :

1. केन्द्रीय/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं,

या

(12)

(ii) वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 या समतुल्य वेतन मान में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में 5 वर्ष सेवा कर चुके हैं।

(ख) जिनके पास निम्नानुसार शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी व हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री;

(ii) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य और/या अंग्रेजी में हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का पांच वर्ष अनुभव, तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को वरीयता,

या

हिन्दी के अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव

2. वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 के वेतनमान में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (राजभाषा) भी जिन्होंने श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, विचार किए जाने के पात्र होंगे, और यदि पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए। जनवरी, 2006 (वह तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है) से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गयी गयी वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई गयी राफ़्ती जाएगी, सिवाय उसके जहां एक या एक से अधिक पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(66)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

लागू नहीं होता

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[ फा. सं. 21/08/2009-केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ]

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. सं. 21 तारीख 3 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF WATER RESOURCES**

New Delhi, the 3rd November, 2010

**G.S.R. 216.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Deputy Director (Official Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board Deputy Director (Official Language) Recruitment Rules, 2005, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

**SCHEDULE**

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director (Official Language)	01* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 in the scale of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

Period of probation, if any

(8)

(9)

(10)

Not applicable

Not applicable

Two years for promotees

65

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, Grades from which promotion/deputation/absorption is to be made

(11)

(12)

Composite method (Deputation plus Promotion).

**Deputation plus Promotion :**

(1) Officers from the Central/State Governments and Union Territories :—

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department,

OR

(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the grade scale of pay of Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 in pay band 3 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the educational qualifications and experience as under :

(i) Master's Degree of a recognized university in Hindi with English as a subject at the degree level;

OR

Master's Degree of a recognized university in English with Hindi as a subject at the degree level;

OR

Master's Degree of a recognized university in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level;

OR

Master's Degree of a recognized university in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level;

OR

Master's Degree of a recognized university in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level; and

(ii) Five years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature;

OR

Five years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.

(2) The Departmental Assistant Director (Official Language) in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 5400 in Pay Band-3, with five years regular service in the grade will also be eligible for consideration and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

(Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.)

**Note :** For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to

(12)

1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 21/08/2009-CGWB]

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

**Foot Note :** The principal rules were published vide G.S.R. 21, dated the 3rd January, 2005.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 217.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) भर्ती नियम, 1972 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन ग्रेड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।